न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट(फास्टट्रेक) बांदीकुई
पीठासीन अधिकारी श्री चिम्मनलाल मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई

उनवान नाथ्या बनाम मैदा वगै0

वाद संख्या–35/2013

दिनांक ~~निर्णय–21.08.2018~~

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :–

यह कि वादी नाथ्या द्वारा वर्ष 2004 के दौरान एक वाद पत्र न्यायालय हाजा में पेश किया जिसमें अंकित किया है कि आ0 ख0 नं0 गत 315 रकबा 2.12 हाल 1230 रकबा 0.21, 1231 रकबा 0.05, 1234 रकबा 0.38, 1235 रकबा 0.02 हाल कुल ख0 नं0 4 रकबा 0.66 है0 वाके ग्राम ऐचेडी तह0 बसवा का वादी रिकार्डे खातेदार काश्तकार है। जिसे वाद पत्र में विवादित घोषित किया गया है। विवादित आराजी को वादी के पितामह श्योजी पुत्र पांचू ने प्रतिवादी सं0 1 ला0 8 को सं0 2008 में बन्दोबस्त के दौरान वादी नाबालिक होने के कारण उस समय रहन रखना वाद पत्र में अंकित किया है।

यह कि प्रतिवादीगण ने बिना किसी विधिक हक हकूक बदयान्ति पूर्वक दिनांक 12.8.72 कजोड, भभोलिया वगै0 जाति बैरवा नि0 ऐचेडी को 6000/– अक्षरे छः हजार रूपये में पोच रूपये के स्टाम्प पर लिखावा कर काश्त हेतु सौपदी। वादी द्वारा आपने वाद पत्र में अन्त में अंकित किया कि आराजी मुतदाविया ख0 नं0 1230, 1231, 1234, 1235 कुल रकबा 0.66 है0 वाके ग्राम ऐचेडी तह0 बसवा को रहन मुक्त कर राहिनो का नाम खातेदारी से नाम हजफ कराने की इश्तदुआ की। प्रतिवादी सं0 1 ला0 8 को हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द फरमाने की भी प्रार्थना की है।

यह कि वाद पत्र प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण से जवाब प्राप्त कर तनकीयात कायम की गई। जो निम्नप्रकार है:–

1. आया विवादित भूमि में वादी के नाम से आये रहन शब्द हटाने का वादी अधिकारी है।
   :– वादी
2. आया प्रतिवादीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का वादी अधिकारी है।
   :– वादी

21/08/18

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned by CamScanner

3. आया प्रकरण में रेस ज्यूडिकेटा का सिद्वान्त लागू होने से दावा खारिज योग्य है।

:– प्रतिवादी

4. आया रहन से बागुजास्त कराने का दावा न्यायालय हाजा में चलने योग्य नही है।

:– प्रतिवादी

5. आया दावा मियाद बाहर है।

:– प्रतिवादी

6. आया बिना इस्तदुआ बेदखली दावा योग्य नही है।

:– प्रतिवादी

7. अनुतोष।

उपरोक्तानुसार तनकीयात कायम करने के पश्चात वादी व प्रतिवादीगण को साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर दिया जाकर पत्रावली बहस हेतु रखी जाकर उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगणो की बहस सुनी गयी। विद्वान अभिभाषकगणो की बहस सुनी गयी। विद्वान अभिभाषकगणो की बहस सुनने व पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। मुताबिक राजस्व रिकार्ड खतौनी बन्दोबस्त में सोजी वल्द पांचू खातेदार के कालम में अंकित है। जिसके साथ ही पांच्या वल्द रधुनाथ को राहिन अंकित किया गया है। इसी प्रकार बसिलसिले वारिसान के नाम खातेदार व राहिनो का नाम अंकित चला आ रहा है व जमाबंदी सं0 2058 से 2061 में धापा बेबा कन्हैया मीना राहिन अर्जुन मेदा पि0 पॉचू व श्योदान पुत्र गणेश जाति मीना दर्ज है। इस प्रकार खातेदार व राहिनो का नाम बदस्तूर चला आ रहा है। दिनांक 12.8.72 को राहिनो द्वारा विवादित आराजी को स्टाम्प पर विक्रय करने का अंकन किया है। ताहिद में स्टाम्प भी पत्रावली में प्रस्तुत किया गया है। जिसका राहिन को कोई अधिकार नही बंनता है। इस प्रकार वाद पत्र में अंकित तथ्यो व प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का अंकनो के अवलोकन व तनकीयात पर मनन करने के पश्चात वादी की तनकी नं0 1 रहन हटाने का वादी अधिकारी है। इतने लम्बे समय तक रहन का प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नही है। इस प्रकार सभी तनकीयात पर मनन करने व राजस्व रिकार्ड अनुसार वादी का वाद साबित होता है। अतः आदेश दिया जाता है कि :– पत्रावली में मनन व अवलोकन कर गुणावगुण आधार वाद वादी स्वीकार किया जाता है तथा विवादित आराजी ख0 नं0 1230 रकबा 0.21, 1231 रकबा 0.05, 1234 रकबा 0.38, 1235 रकबा 0.02 कुल किता 4

21/08/18

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned by CamScanner

रकबा 0.66 है0 वाके ग्राम ऐचेडी तह0 बसवा को रहन मुक्त किये जाने के आदेश दिये जात है व साथ ही राहिनो के नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वे वादीगण को विवादित आराजी के कब्जे काश्त में दखल पैदा न करे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

21/08/18

(चिमनलाल मीना)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बांदीकुई

Scanned by CamScanner